पुनरीक्षण अपराधी।

समक्ष मुनि लाल वर्मा,न्यायमूर्ति।

जय पाल सिंह, याचिकाकर्ता।

बनाम।

हरियाणा राज्य,-*उत्तरदाता।*

1972 का आपराधिक संशोधन संख्या 113

19 मई, 1972।

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम)- धारा 549 (1)-सेना अधिनियम (1950 का XLVI)- धारा 3 (ii) 69,70,125 और 126-आपराधिक न्यायालय और कोर्ट मार्शल (क्षेत्राधिकार का समायोजन) नियम (1952) नियम 3,4,5 और 6-सैन्य कानून के अधीन नहीं किसी व्यक्ति की हत्या करने वाले सक्रिय सेवा पर सैन्य कार्मिक-आपराधिक न्यायालय और कोर्ट मार्शल दोनों द्वारा विचारण योग्य अपराध-धारा 125 में उल्लिखित अधिकारी अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक न्यायालय में कोर्ट मार्शल कार्यवाही द्वारा अभियुक्त का मुकदमा चलाने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं-चाहे वर्जित हो-ऐसा अभियुक्त व्यक्ति-क्या मामले में कोई विकल्प है- सैन्य अधिकारियों को प्रतिबद्धता कार्यवाही की लिखित सूचना देने के लिए मजिस्ट्रेट की चूक- क्या ऐसी कार्यवाही को दूषित करता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि सेना अधिनियम, 1950 की धारा 70 के अधीन, हत्या, गैर इरादतन हत्या और बलात्कार के अपराध, जब किसी सैन्य कर्मी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में किए जाते हैं जो सैन्य, नौसेना या वायु सेना कानून के अधीन नहीं है, तो विशेष रूप से आपराधिक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य हैं। लेकिन जब अपराधी अपराध के समय सक्रिय सेवा में होता है, तो कोर्ट मार्शल के साथ-साथ आपराधिक अदालत दोनों के पास उस पर मुकदमा चलाने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र होता है। अधिनियम की धारा 125 और 126 में निहित प्रावधान धारा 125 में उल्लिखित अधिकारी को आपराधिक न्यायालय और कोर्ट-मार्शल में से न्यायालय का चयन करने का विकल्प देते हैं, जिसमें अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। यदि उक्त अधिकारी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करता है और

यह निर्णय लेता है कि कोर्ट-मार्शल के समक्ष कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, तो अधिनियम आपराधिक न्यायालय को कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से नहीं रोकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 549 का बहुत सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और हत्या के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए दंड न्यायालय की अधिकारिता को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान पूरी तरह से और विशेष रूप से इसे बाहर नहीं करते हैं। कानून चाहे सेना अधिनियम में या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत या आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित हो, किसी आरोपी व्यक्ति को यह कहने का कोई अधिकार नहीं देता है कि उस पर आपराधिक न्यायालय या कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 549 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन न करने में न्यायालयों की विफलता विचारण को दूषित करने वाली अवैधता के बराबर नहीं है, विशेष रूप से जब अभियुक्त पर कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जाता है। अतः अभियुक्त मजिस्ट्रेट की ओर से किसी अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत करने से पहले सैन्य अधिकारियों को सात दिन का लिखित नोटिस देने में विफलता और सैन्य अधिकारियों द्वारा पेश किए बिना प्रतिबद्धता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के कारणों को दर्ज करने में विफलता प्रक्रिया की अनियमितता के बराबर है न कि अवैधता। उन कार्यवाहियों में पारित प्रतिबद्धता आदेश को अधिकार क्षेत्र के अभाव के लिए आक्षेपित नहीं किया जा सकता है, और प्रतिबद्धता कार्यवाहियों को दूषित नहीं किया जाता है।

श्री सालिग राम सेठ, सत्र न्यायाधीश, हिसार, पदेन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक, दिनांक 3 जनवरी, 1972 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन याचिका, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 549 के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए। पी. सी. को सेना अधिनियम, 1950 की धारा 125 और 126 के साथ पढ़ा गया, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा सत्र मामला सं. 1970 का 48.

याचिकाकर्ता की ओर से *एडवोकेट यू. डी. गौर,*

बी पी. सपरा, अधिवक्ता, *हरियाणा राज्य के लिए,*

निर्णय

वर्मा, जे. -इस आपराधिक संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियों को संक्षेप में निम्नानुसार बताया जा सकता हैः -

याचिकाकर्ता सैन्य कर्मी था, संभवतः, सेना में एक सिपाही था। जून, 1969 के महीने में वे छुट्टी पर अपने गाँव मोख़ा गए थे। 25 और 26 जून, 1969 की दरम्यानी रात को उसने अपने पिता भगतू और अपने भाई बलवान की उनके घेरे में बंदूक की गोलियों से हत्या कर दी और फिर वह अपने घर की ओर बढ़ गया। वहाँ उसने अपनी माँ श्रीमती कमली, अपनी बेटियों सर्वश्रीमती मूर्ति और सुनेहरी और अपने बेटे हवा सिंह की हत्या कर दी। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस, महम में ओम प्रकाश द्वारा दर्ज की गई थी, जो चश्मदीद गवाह थे। उक्त पुलिस ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक जांच के बाद उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया। विद्वत मजिस्ट्रेट ने उसे उपरोक्त छह हत्याओं को अंजाम देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपों पर स्थायी मुकदमा चलाने के लिए रोहतक के सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करने वाले रोहतक के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। इस अदालत में अपील करने पर, उनकी दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया गया। मुकदमे के अंत में, याचिकाकर्ता की ओर से निचली अदालत में एक आवेदन दायर किया गया था, कि चूंकि मुकदमे के लिए उसकी प्रतिबद्धता आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सेना अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के प्रावधानों के उल्लंघन में थी, इसलिए उसका मुकदमा अवैध था और यह प्रार्थना की गई थी कि उसकी प्रतिबद्धता को रद्द कर दिया जाए। रोहतक के पदेन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पुनरीक्षण के लिए इस न्यायालय में आया है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता सैन्य कर्मी था और जून, 1969 के महीने में छुट्टी पर अपने गांव मोख़ा आया था, कि 25 और 26 जून, 1969 की दरम्यानी रात को छह व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई थी और याचिकाकर्ता को उक्त छह हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया था और धारा 302 के तहत मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। उक्त हत्याओं के लिए भारतीय दंड

संहिता विवादित नहीं है। धारा 549, दंड प्रक्रिया संहिता, और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुकदमा दूषित हो गया क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता उक्त प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन करने के कारण अवैध थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 549 का सुसंगत उपबंध इस प्रकार हैः -

549 (1) केन्द्रीय सरकार इस संहिता और सेना अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी समान विधि के अनुरूप नियम बना सकती है, उन मामलों के बारे में जिनमें सैन्य विधि के अधीन व्यक्तियों का विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें यह संहिता लागू होती है, या कोर्ट-मार्शल द्वारा; और जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और उस अपराध के लिए आरोपित किया जाता है जिसके लिए वह या तो उस न्यायालय द्वारा, जिसमें यह संहिता लागू होती है, या कोर्ट-मार्शल द्वारा विचारण के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट को ऐसे नियमों का संबंध होगा, और उचित मामलों में उसे उस रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी को, जिससे वह संबंधित है, या निकटतम सैन्य स्टेशन के कमांडिंग अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, कोर्ट-मार्शल द्वारा परीक्षण किए जाने के उद्देश्य से, उस अपराध के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिनियम के प्रावधान निस्संदेह याचिकाकर्ता पर लागू थे क्योंकि वह सेना में कार्यरत था। 'सक्रिय सेवा' को अधिनियम की धारा 3 (i) में परिभाषित किया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 9 द्वारा 'सक्रिय सेवा' की उक्त परिभाषा का दायरा बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 28 नवंबर, 1962 को जारी अधिसूचना संख्या एसआरओ-6ई के माध्यम से, यह घोषणा की गई कि अधिनियम के अधीन सभी व्यक्ति, जहां भी वे सेवारत हों, सक्रिय सेवा पर माने जाएंगे अधिनियम के अर्थ के भीतर। इसी प्रकार की अधिसूचना केन्द्र सरकार द्वारा वायु सेना अधिनियम की धारा 9 के अधीन जारी की गई थी और उक्त अधिसूचना पर विचार करते हुए इस

न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1) मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि वायु सेना में नियोजित व्यक्ति सक्रिय सेवा पर था यद्यपि अपराध करने के समय वह छुट्टी पर था। इसलिए, अब इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. 6ई के कारण याचिकाकर्ता को सक्रिय सेवा पर विचार किया जाना चाहिए, हालांकि वह घटना की रात को अपने गांव में छुट्टी पर था। अधिनियम की धारा 69,3 (ii) 70,125 और 126, जो इस पुनरीक्षण का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत है, निम्नलिखित रूप में पठनीय हैः-"69-धारा 70 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति, जो भारत में या उसके बाहर किसी स्थान पर कोई सिविल अपराध करता है, उसे इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी समझा जाएगा और यदि इस धारा के अधीन आरोपित किया जाता है, तो वह कोर्ट-मार्शल द्वारा विचारण के लिए दायी होगा और दोषी ठहराए जाने पर, निम्नलिखित दंडनीय होगा, अर्थात्-(क) यदि अपराध ऐसा है जो भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मृत्युदंड या परिवहन के साथ दंडनीय होगा, तो वह उपरोक्त विधि द्वारा अपराध के लिए विहित कोड़े मारने के अतिरिक्त और इस अधिनियम में उल्लिखित कम दंड के अधीन होगा; और (ख) किसी अन्य मामले में, वह भारत अधिनियम में निर्दिष्ट किए गए अपराध के लिए सात वर्ष या उससे कम कारावास या कोड़े मारने के दंड के अधीन होगा, जो इस अधिनियम में उल्लिखित किसी अन्य अपराध के लिए दंडनीय है।

*** * *-* ***

(I) आई एल आर 1970 (2) पीबी एंड एचआर 69

(2) एआई आर 1970 पीबी एंड एचआर 3513.

(3) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-* * * * * * * (I) 'सिविल अपराध' से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो आपराधिक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है; * * * * * * * 70-इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का अपराध करता है जो

सैन्य, नौसैनिक या वायु सेना कानून के अधीन नहीं है, या गैर-इरादतन हत्या का अपराध करता है जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हत्या के बराबर नहीं है या ऐसे व्यक्ति के संबंध में बलात्कार का अपराध है, उसे इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा और कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जब तक कि वह उक्त अपराधों में से कोई अपराध न करे-(ए) सक्रिय सेवा में रहते हुए, या (बी) भारत के बाहर किसी स्थान पर, या (सी) इस संबंध में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा चौकी पर।

* * * * *

जब किसी आपराधिक न्यायालय और कोर्ट-मार्शल को किसी अपराध के संबंध में प्रत्येक अधिकारिता होती है, तो यह सेना, सेना कोर, डिवीजन या स्वतंत्र ब्रिगेड की कमान संभालने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में होगा, जिसमें आरोपी व्यक्ति सेवारत है या ऐसा अन्य अधिकारी जो यह तय करने के लिए निर्धारित किया जाए कि किस अदालत के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाएगी, और यदि वह अधिकारी निर्णय लेता है कि उन्हें कोर्ट-मार्शल के समक्ष स्थापित किया जाना चाहिए, तो यह निर्देश देने के लिए कि आरोपी व्यक्ति को सैन्य हिरासत में रखा जाएगा।

126-(1) जब अधिकारिता वाले आपराधिक न्यायालय की राय है कि किसी कथित अपराध के संबंध में अपने समक्ष कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी, तो वह लिखित सूचना द्वारा, अपने विकल्प पर धारा 125 में निर्दिष्ट अधिकारी से अपराधी को विधि के अनुसार निकटतम मजिस्ट्रेट के सुपुर्द करने या केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देश लंबित रहने तक कार्यवाहियों को स्थगित करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में उक्त अधिकारी या तो मांग के अनुपालन में अपराधी को सौंप देगा, या तुरंत उस न्यायालय के रूप में प्रश्न का निर्देश करेगा जिसके समक्ष केंद्रीय सरकार के निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू की जानी है, जिसका आदेश इस तरह के संदर्भ पर अंतिम होगा।

आपराधिक न्यायालयों के नियम 3,4,5 और 6 और कोर्ट-मार्शल (अधिकारिता

का समायोजन) नियम, 1952, जो प्रासंगिक हैं, निम्नलिखित प्रभाव से हैंः -

"3-जहां सैन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और उस अपराध के लिए आरोपित किया जाता है जिसके लिए वह कोर्ट-मार्शल द्वारा विचारण के लिए उत्तरदायी है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या उसके मामले को किसी पीठ को भेजे जाने के लिए आदेश जारी करने या ऐसे न्यायालय द्वारा विचारण योग्य किसी अपराध के लिए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षण के लिए उसकी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए पूछताछ करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक किः (क) उसकी राय दर्ज किए जाने वाले कारणों से नहीं है कि उसे सक्षम सैन्य प्राधिकरण द्वारा स्थानांतरित किए बिना इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, या (ख) उसे ऐसे प्राधिकरण द्वारा स्थानांतरित किया जाता है।

4-नियम 3 के खंड (क) के अधीन कार्यवाही करने से पूर्व मजिस्ट्रेट अभियुक्त के कमांडिग अधिकारी को लिखित सूचना देगा और ऐसी सूचना की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि की समाप्ति तक वह -

(क) अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 243,245,247 या 248 के अधीन दोषी ठहराता है या दोषमुक्त करता है या उक्त संहिता की धारा 244 में उसका प्रतिवाद करता है; या

(ख) उक्त संहिता की धारा 254 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करता है; या

(ग) उक्त संहिता की धारा 213 के अधीन उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विचारण के लिए प्रत्यर्पित करने का आदेश देता है।

5- जहां नियम 4 में वर्णित सात दिनों की अवधि के भीतर, या उसके बाद किसी समय मजिस्ट्रेट के समक्ष मजिस्ट्रेट ने

कोई कार्य किया है या उस नियम में निर्दिष्ट कोई आदेश जारी किया है, वहां अभियुक्त या सक्षम सैन्य प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, का कमांडिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट को नोटिस देता है कि ऐसे प्राधिकरण की राय में, आरोपी पर कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट कार्यवाही पर रोक लगाएगा और यदि आरोपी अपनी शक्ति में या अपने नियंत्रण में है, तो उसे उक्त संहिता की धारा 549 की उप-धारा (1) में निर्धारित बयान के साथ उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण को सौंप देगा।

6- जहां एक मजिस्ट्रेट को नियम 3 के खंड (ख) के अधीन सक्षम सैन्य प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरित किया गया है और अभियुक्त या सक्षम सैन्य प्राधिकारी का कमांडिंग अधिकारी, जैसा भी मामला हो, बाद में ऐसे मजिस्ट्रेट को नोटिस देता है कि, ऐसे प्राधिकरण की राय में, अभियुक्त पर कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि उसने ऐसी सूचना प्राप्त करने से पहले कोई कार्य नहीं किया है या नियम 4 में निर्दिष्ट कोई आदेश जारी नहीं किया है, तो कार्यवाही पर रोक लगा देगा और, यदि अभियुक्त अपनी शक्ति में या अपने नियंत्रण में है, तो उसी तरह उसे उक्त संहिता की धारा 549 की उप-धारा (1) में निर्धारित बयान के साथ उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण को सौंप देगा।

(3) इस प्रकार, अधिनियम की धारा 3 (ii) के साथ पठित धारा 69 से यह प्रतीत होगा कि भारतीय दंड संहिता के अधीन हत्या, गैर-इरादतन हत्या और सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए बलात्कार को छोड़कर सभी दंडनीय अपराध न्यायालय और आपराधिक न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य हैं। गैर इरादतन हत्या और बलात्कार के अपराध, जब एक सेना द्वारा किए जाते हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति के

संबंध में कर्मी जो सैन्य, नौसेना या वायु सेना कानून के अधीन नहीं है, विशेष रूप से आपराधिक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य हैं और कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। (अधिनियम की धारा 70 के तहत). लेकिन उक्त अपराधों के संबंध में सैन्य कर्मियों के मुकदमे के खिलाफ अधिनियम की धारा 70 द्वारा प्रदान की गई उक्त बाधा को तब हटा दिया जाता है जब अपराधी, जो स्वीकार्य रूप से सैन्य कर्मी है, अपराध के समय सक्रिय सेवा में था। चूंकि 28 नवंबर, 1962 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. 6ई के मद्देनजर, याचिकाकर्ता, हालांकि वह छुट्टी पर था, उसे 'सक्रिय सेवा' पर माना जाना चाहिए, इसलिए अधिनियम की धारा 70 कोर्ट-मार्शल के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करेगी और यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कोर्ट-मार्शल के साथ-साथ आपराधिक न्यायालय के पास छह हत्याओं के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 549 के प्रावधानों का बहुत सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और छह हत्याओं के लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए दंड न्यायालय की अधिकारिता को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों को पूरी तरह से और विशेष रूप से बाहर नहीं किया जाता है। सेना अधिनियम की धारा 125 और 126 या आपराधिक न्यायालय और कोर्ट-मार्शल (अधिकारिता का समायोजन) नियम, 1952, आपराधिक न्यायालय की अधिकारिता को हत्या के अपराध के लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए कम स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा की गई हत्या के अपराधों का आपराधिक न्यायालय और कोर्ट-मार्शल दोनों द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। धारा 125 और 126 और ऊपर निर्दिष्ट नियमों में आपराधिक न्यायालय और न्यायालय-मुकदमे के बीच अधिकारिता के टकराव से बचने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि, पहली बार में, विवेकाधिकार अधिकारी पर छोड़ दिया गया था, अधिनियम की धारा 125 में उल्लिखित, यह तय करने के लिए कि किस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की जा सकती है और सेना के अधिकारी-कमांडिंग, डिवीजन या ब्रिगेड, जिसमें

याचिकाकर्ता सेवारत था, या इस प्रकार निर्धारित किसी अन्य अधिकारी को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना था और अधिनियम की धारा 125 के तहत निर्णय लेना था कि किस न्यायालय में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। जब वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि कोर्ट-मार्शल के समक्ष कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, तभी धारा 126 (1) के प्रावधान लागू हो सकते हैं। यदि अधिनियम की धारा 125 में उल्लिखित उक्त अधिकारी ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया और यह निर्णय नहीं लिया कि कोर्ट-मार्शल के समक्ष कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, तो सेना अधिनियम आपराधिक न्यायालय को कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक नहीं सकता है। मैं इस दृष्टिकोण में जोगिंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में दर्ज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से निर्देशित हूं (2) इसलिए, यह स्पष्ट है कि सेना अधिनियम की धारा 125 और 126 में निहित प्रावधान अधिनियम की धारा 125 में उल्लिखित अधिकारी को आपराधिक न्यायालय और कोर्ट-मार्शल में से न्यायालय का चयन करने का विकल्प देते हैं, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। लेकिन उक्त धाराओं में कुछ भी नहीं है, और मुझे यह दिखाने के लिए कानून का कोई प्रावधान नहीं भेजा गया था कि याचिकाकर्ता के पास मामले में कोई विकल्प था। दूसरे शब्दों में, कानून, जैसा कि अब है, चाहे वह सेना अधिनियम में या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत या आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित हो, याचिकाकर्ता को यह कहने का कोई अधिकार नहीं देता है कि उस पर आपराधिक न्यायालय या कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को पुलिस ने 26 जून, 1969 को गिरफ्तार किया था और उसके बाद वह जेल में था। वे जून, 1969 के महीने में छुट्टी पर अपने गाँव चले गए थे। उसकी छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद, सेना के अधिकारियों ने विशेष रूप से रेजिमेंट के अधिकारियों ने, जिसमें याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था, याचिकाकर्ता के छुट्टी से अपनी रेजिमेंट में नहीं लौटने की जांच की होगी। इसलिए, यह मान लेना उचित है कि उक्त जांच में उन्हें छह व्यक्तियों की मृत्यु से संबंधित हत्या के अपराध के लिए

याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में पता चला होगा। न केवल यह कि याचिकाकर्ता दो वर्ष से अधिक समय पहले रोहतक के सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, उसे भी उपरोक्त हत्याओं के लिए 20 मार्च, 1970 को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध उनकी अपील को इस न्यायालय द्वारा 1 सितंबर, 1970 को स्वीकार कर लिया गया था और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया गया था और तब से यह लंबित था। इसलिए, मामले की परिस्थितियों में, यह मान लेना उचित है कि सेना के अधिकारियों के पास यह जानने के लिए पर्याप्त समय था कि याचिकाकर्ता पर छह व्यक्तियों की हत्या करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। इसलिए, उनके पास अधिनियम की धारा 125 द्वारा अनुमत विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त और पूर्ण अवसर था, न्यायालय को चुनने या निर्धारित करने के लिए, चाहे आपराधिक न्यायालय हो या कोर्ट-मार्शल, जहां याचिकाकर्ता पर हत्या के उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया कि संबंधित सेना अधिकारियों ने कभी यह निर्णय लिया था कि उस पर (याचिकाकर्ता पर) कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मामले के उस दृष्टिकोण में, जब सेना के अधिकारियों के पास यह जानने के लिए पर्याप्त समय था और वास्तव में, उस ज्ञान का श्रेय उन्हें सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है, कि याचिकाकर्ता पर आपराधिक न्यायालय में हत्या करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था, और उनके पास अधिनियम की धारा 125 द्वारा अनुमत विवेकाधिकार का प्रयोग करने का पर्याप्त अवसर था, लेकिन उन्होंने यह निर्णय नहीं लिया कि उसे कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट में निहित अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र, अपराध की जांच करने और याचिकाकर्ता को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए, दूर नहीं किया जा सकता था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 549, अधिनियम की धारा 125 और 126 तथा दंड न्यायालय और न्यायालय-मार्शल (अधिकारिता का समायोजन) नियम, 1952 के नियम 3,4,5 और 6 में उपर्युक्त उपबंध मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संस्थित कार्यवाहियों से संबंधित हैं। उक्त प्रावधान सत्र न्यायालय से संबंधित नहीं हैं। यह

देखा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट, प्रतिबद्धता की कार्यवाही की जांच करने से पहले, अभियुक्त के कमांडिंग अधिकारी, जो सैन्य कर्मी हैं, को कम से कम सात दिनों का लिखित नोटिस देना चाहता है और उक्त नोटिस देने के बाद, वह जांच के साथ आगे बढ़ सकता है, हालांकि उसके कारण दर्ज करने के बाद, सेना के अधिकारियों द्वारा उस संबंध में उसे पेश किए बिना। नियमों का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि जब एक अभियुक्त, जो सैन्य कर्मी है, को मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे के लिए या प्रतिबद्धता की कार्यवाही की जांच के लिए लाया जाता है, तो उसे सेना के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए ताकि वे धारा 125 द्वारा अनुमत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकें और उक्त अभियुक्त के मुकदमे के मंच के संबंध में निर्णय ले सकें। जब, किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में, यह यथोचित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि यह संबंधित सेना प्राधिकरणों की जानकारी में है कि आपराधिक अपराध के अभियुक्त सैन्य कार्मिक पर आपराधिक न्यायालय में अभियोजन चलाया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट की ओर से नियम 4 द्वारा अपेक्षित लिखित सूचना देने या नियम 3 के खंड (क) द्वारा अपेक्षित मामले में कार्यवाही करने के कारण अभिलिखित करने में चूक, उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती है और उसे कानून द्वारा दी गई अधिकारिता से वंचित नहीं करती है। जोगिंदर सिंह बनाम राज्य (3) में यह देखा गया है कि -

(3) "नियमों के नियम 3 और 4 का उल्लंघन स्वयं मजिस्ट्रेट को उसके अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करता है, जिससे बाद की सभी कार्यवाहियों को स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाता है और उल्लंघन का प्रभाव उल्लंघन की प्रकृति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्धारित किया जाना है। इसी प्रकार, अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1) में यह निर्णय दिया गया है कि धारा 549, दंड प्रक्रिया संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन न करने में न्यायालयों की विफलता अवैध रूप से विचारण को दूषित करने के समान नहीं है, विशेष रूप से जब अभियुक्त पर कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ता) को रोहतक के सत्र न्यायालय में

विचारण के लिए प्रस्तुत करने से पहले, याचिकाकर्ता के कमांडिंग अधिकारी को सात दिन का लिखित नोटिस देने में विद्वत प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट की विफलता, नियम 4 का पालन न करने का गठन करती है और सैन्य अधिकारियों द्वारा पेश किए बिना प्रतिबद्धता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के लिए कारण दर्ज करने में उसकी विफलता नियम 3 का पालन न करने का गठन करती है(a). लेकिन जिन परिस्थितियों पर ऊपर चर्चा की गई है, उनमें विद्वतापूर्ण मजिस्ट्रेट द्वारा नियमों का पालन न करना, यह दर्शाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है कि संबंधित सेना अधिकारियों को हत्या के अपराधों के लिए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और अभियोजन के बारे में पता चला होगा और उन्होंने यह निर्णय नहीं लिया कि उसे कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उस संबंध में आपराधिक न्यायालय में नहीं गया, प्रक्रिया की अनियमितता का गठन करेगा और इसे अवैध नहीं माना जाएगा। प्रतिबद्धता के आदेश को अवैधता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया के मामले में अनियमितता विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रतिबद्धता आदेश को दूषित नहीं कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विद्वत मजिस्ट्रेट के पास अपराध की जांच करने और प्रतिबद्धता के आदेश को दर्ज करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र था। इसलिए, प्रतिबद्धता आदेश को अधिकार क्षेत्र के अभाव के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को 26 जून, 1969 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और सत्र न्यायालय में पेश किया गया और उनके मुकदमे के परिणामस्वरूप 20 मार्च, 1970 को उन्हें दोषी ठहराया गया। उनकी अपील को 1 सितंबर, 1970 को स्वीकार कर लिया गया था और रिमांड के बाद भी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य मुख्य रूप से दर्ज किए गए थे, और यह 16 फरवरी, 1971 को था, जब प्रतिबद्धता के आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिबद्धता आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन अत्यधिक देरी के बाद दायर किया गया था।

(4) इस प्रकार, उपर्युक्त चर्चा से यह कहा जा सकता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वत मजिस्ट्रेट के पास प्रतिबद्धता की कार्यवाही की जांच

करने या प्रतिबद्धता के आदेश को दर्ज करने की अधिकारिता का अभाव है और मामले की परिस्थितियों में नियम 3 और 4 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना अवैधता के बराबर है। इसलिए, प्रतिबद्धता आदेश को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं है। जैसे ही यह अभिनिर्धारित किया जाता है, जैसा कि मैं करता हूं, कि प्रतिबद्धता आदेश अवैध नहीं था, सत्र न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के मुकदमे को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अत्यधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिबद्धता आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन करने में दो वर्ष से अधिक का विस्तार, और यह तथ्य कि संबंधित सेना अधिकारियों को आपराधिक न्यायालय में याचिकाकर्ता के अभियोजन के बारे में पता चला होगा और आपराधिक न्यायालय को कभी सूचित नहीं किया कि वे याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट-मार्शल में कार्यवाही शुरू करने का इरादा रखते हैं, प्रतिबद्धता के आदेश को रद्द करने से इनकार करने से याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे विफल होना चाहिए और याचिकाकर्ता का मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए।

(5) परिणामस्वरूप, मैं इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज करता हूँ। रोहतक के पदेन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अब गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करेंगे।

एन के एस

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

हिसार, हरियाणा